न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

देवीसिंह तनय मोहनसिंह ,

निबासी ग्राम आबूखेड़ी , तह0 पथरिया जिला दमोह म0प्र0

................आवेदक

विरूद्व

भुजबल बल्द कड़ोरी सिंह ,

ग्राम आबूखेड़ी तह0 पथरिया जिला दमोह म0प्र0

.... **प्रतिनिगराकार**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है:--

1 यह कि आवेदक यह निगरानी अपर कलेक्टर महोदय दमोह , जिला दमोह द्वारा प्र0क0 44/अ-05 बर्ष/2011-12 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 31/08/2012 से परिवेदित होकर कर रहा है जो समय सीमा मैं है तथा माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2-- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वरा एक आवेदनपत्र अधि0 बिचारण न्यायालय नायब तहसीलदार पथरिया में अंतर्गत धारा 89 का इस आशय का दिया कि मौजा आबूखेड़ी तहसील पथरिया स्थित उसकी भूमि खसरा नं0 07 का रकवा बंदोबस्त में कम कर दिया गया है सुधार किया जावे। जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्र0 क0 37/अ-5/05-06 दर्ज कर कार्यवाही करते हुये पारित आदेश दिनॉक 25/01/2007 के द्वारा वादग्रस्त भूमि में हुई कमी की पूर्ति करने का आदेश पारित किया। जिससे परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा एक अपील अनु0 अधि0 दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत की।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3910-दो/2012 जिला दमोह

देवीसिंह विरूद्ध भुजबल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 44/अ-5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31-08-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) सदस्य 07/3/19	